Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण संख्या :– 35/2017

बउनवान

सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री नेमीचन्द पुत्र सीताराम निवासी मनोहरपुर सहरोद तहसील अटरू जिला बारॉ **(मौके पर मौजुद विक्रेता)** मैसर्स श्री देव दूध डेयरी, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ जिला बारॉ

2– श्री श्रवण सिंह पुत्र हरीराम गुर्जर निवासी गुर्जर बस्ती ग्राम जेतपुरा किशनगंज जिला बारॉ **(लाईसेन्स धारी)** मैसर्स श्री देव दूध डेयरी, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)

2– अप्रार्थी क्रम 1 व 2 स्वंय उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 13.2.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.6.2017 को मैसर्स श्री देव दूध डेयरी, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री नेमीचन्द पुत्र सीताराम निवासी मनोहरपुर सहरोद तहसील अटरू विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 13.6.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध** जो लगभग 20 लीटर स्टील की टंकी मे विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। उक्त मिश्रित दूध मे मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। नमूना जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त मिश्रित दूध मे से 2 लीटर हिलामिलाकर एक समरूप करके वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 80/- रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

आवेदक ने खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को को चार भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी सकडे मुह की शिशिया दिखाकर प्रत्येक नमुना भाग को प्रत्येक शिशि मे डाला एवं प्रत्येक नमुना शिशियो मे बतोर परीरक्षक फार्मलीन की 40-40 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शिशि पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-737 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना शिशियो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना शिशि पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 737 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शिशि पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमुना शिशियो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना शिशियो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/156 दिनांक 27.6.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 471/FSSA/Kota/Act/2017/481 दिनांक 22.6.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, मिश्रित दूध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया।

उक्त केस मे अप्रार्थी ने (Sub Standard) मिश्रित दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य रजि0 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 5.12.2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही कर प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थी द्वारा जिस मिश्रित दूध का विक्रय किया जा रहा था वह जॉच मे अवमानक (Sub Standard) पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृतय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थी को धारा 51 के तहत को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया कि हमने दूध मे किसी भी प्रकार की मिलावट नही की है। हम गरीब व्यक्ति है थोडा बहुत दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 471/FSSA/Kota/Act/2017/481 दिनांक 22.6.2017 के बाद अप्रार्थी को एक माह का समय उक्त दूध की पुनः जॉच करवाने हेतु दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा पुनः जॉच नही करवायी गयी है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा गया, मिश्रित दूध जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थीगण को धारा 51 के तहत 5000/–रूपये, (अक्षरे पॉच हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे उच्च क्वालिटी का दूध ही विक्रय हेतु रखा जावे। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)